



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 16.07.2022

1-थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा पति के साथ मिलकर पत्नी की हत्या का षडयन्त्र रचने वाले दो वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 16.07.2022 को थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा थाना सूरजपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 383/2022 धारा 302/120बी भादवि में वांछित 02 अभियुक्त 1.मनोज पुत्र नेमसिंह उर्फ पप्पू निवासी गांव गंगाबास, थाना ढोलना, जिला कासंगज 2.राकेश पुत्र नेम सिंह निवासी गांव मेमडी, थाना ढोलना, जिला कासंगज को थाना क्षेत्र के लखनावली तिराहा, कस्बा सूरजपुर से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं जिनके द्वारा मुकदमा उपरोक्त में मृतका कुसुमा के पति लाल सिंह पुत्र प्रेम राज निवासी ग्राम शेरपुर, थाना गंगीरी, जनपद अलीगढ़ के साथ मिलकर आपराधिक षडयन्त्र कर कुसुमा पुत्री श्री गोवर्धन सिंह पुत्र किशनलाल निवासी, ग्राम गंगावास, थाना ढोलना, जिला कासंगज की हत्या की साजिश रची गयी थी जिसके तहत लालसिंह के द्वारा कुसुमा की दिनांक 14.06.2022 को हत्या कर दी गयी थी। अभियुक्त लालसिंह को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था तथा अभियुक्त राकेश व मनोज उपरोक्त फरार हो गये थे।

अभियुक्तों का विवरण:

- 1.मनोज पुत्र नेमसिंह उर्फ पप्पू निवासी गांव गंगाबास, थाना ढोलना, जिला कासंगज।
- 2.राकेश पुत्र नेम सिंह निवासी गांव मेमडी, थाना ढोलना, जिला कासंगज।

अभियोग का विवरण:

मु0अ0सं0 383/2022 धारा 302/120बी भादवि थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।



2-थाना सेक्टर-24 नोएडा पुलिस द्वारा साप्ताहिक बाजारों, भीड़भाड़ वाले स्थानों व शोभा यात्राओं से आभूषण चोरी करने वाली 03 महिला अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की गयी सोने की चेन (कीमत लगभग 40 हजार रूपये) व 500 रूपये नगद बरामद।

दिनांक 16.07.2022 को थाना सेक्टर-24 नोएडा पुलिस द्वारा साप्ताहिक बाजारों, भीड़भाड़ वाले स्थानों व शोभा यात्राओं से आभूषण चोरी करने वाली 03 महिला अभियुक्ता 1.सारिका निवासी दिल्ली 2.पायल निवासी दिल्ली 3.प्रतिमा निवासी दिल्ली को थाना क्षेत्र के ईएसआईसी के सामने ग्राम चौडा सेक्टर-22 नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। जिनके कब्जे से चोरी की एक सोने की चेन जिसकी कीमत लगभग 40 हजार रूपये व 500 रूपये नगद बरामद हुए हैं।

दिनांक 01.07.2022 को थाना सेक्टर-24 नोएडा क्षेत्र के सेक्टर-34, नोएडा मे भगवान जगन्नाथ शोभा यात्रा के दौरान अज्ञात महिलाओं द्वारा सोने की चेन चोरी करने की घटना के सम्बंध मे मु0अ0सं0 238/2022 धारा 379 भादवि पंजीकृत हुआ था जिसका सफल अनावरण करते हुए पुलिस द्वारा घटना में शामिल अभियुक्ताओं को गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्ताओं का विवरण:

- 1.सारिका निवासी दिल्ली
- 2.पायल निवासी दिल्ली
- 3.प्रतिमा निवासी दिल्ली

अभियोग का विवरण:

मु0अ0सं0 238/2022 धारा 379/411 भादवि थाना सेक्टर-24, नोएडा

बरामदगी का विवरण:

- 1.सोने की चेन (कीमत लगभग 40 हजार रूपये)
- 2.500 रूपये नगद

3-थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा 01 वांछित लुटेरा गिरफ्तार।

दिनांक 16.07.2022 को थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा थाना सूरजपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-859/2016 धारा 392 भादवि में वांछित अभियुक्त सतीश पुत्र जयचन्द निवासी ग्राम मिलक, थाना दनकौर, गौतमबुद्धनगर को कस्बा बिलासपुर, रामपुर गेट के पास से गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्त एक शातिर किस्म का अपराधी है जिसके द्वारा दिनांक 13.12.2016 को अपने साथियों के साथ मिलकर मुकदमा उपरोक्त के वादी श्री अजयपाल सिंह पुत्र रामसिंह निवासी ग्रा0 चिरौरी, थाना रामघाट, जिला बुलंदशहर वर्तमान पता थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर की बन्दूक डबल बैरल .12 बोर छीन ली थी और फरार हो गये थे।

अभियुक्त का विवरण:

सतीश पुत्र जयचन्द निवासी ग्राम मिलक, थाना दनकौर, गौतमबुद्धनगर।

अभियोग का विवरण:

मु0अ0सं0 859/2016 धारा 392 भादवि थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर

